रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 1971/श्रावण 19, 1893

No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 1971/SRAVANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 10th August 1971

G.S.R. 1158.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 124/71-Central Excises dated the 10th June, 1971, the Central Government hereby exempts Malda falling under Item No. 1F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 162/71.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1971

सा० का० नि० 1158.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 124/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 1971 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1-च के अन्तर्गत आने वाले मदे को उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 162/71.]

G.S.R. 1159.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 126/71-Central Excises dated the 10th June, 1971, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, coarse, falling under sub-item 1(2)(e) of Item No. 19 of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), from so much of the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of 3.6 paise per square metre.

[No. 163/71.]

R. JAYARAMAN,
Under Secy.

सा० का० नि० 1159.—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 126/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 10 जून, 1971 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(2) (इ) के अन्तर्गत आने वाले मोटे सूती फैब्रिकों को उन पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 3.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो।

[सं० 163/71.]

आर० जयरामन,
अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971